पत्रांक-भवन-03/स्था0-विविध-01/2018 ......978 (ग)....../

E-mail/FAX

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार साहु,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/लखीसराय/मोतिहारी/अररिया/सहरसा/
शिवहर/सीतामढ़ी/बेतिया/गया, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांकः- 31/1/2020

विषयः- संविदा पर पुनर्नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को विरमित करने संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-262-सह-पठित ज्ञापांक-6277(भ) दिनांक-09.07.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा 9(नौ) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का संविदा अवधि विस्तार/पुनर्नियोजन करते हुये अन्य स्थानों पर पदस्थापित किया गया था, परन्तु कतिपय प्रमंडलों को छोड़कर शेष प्रमंडलों से विरमित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन आदिनांक अप्राप्त है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त सभी पुनर्नियोजित एवं स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं (संविदा) के विरमित करने संबंधित प्रतिवेदन (विरमित करने संबंधी पत्र की छायाप्रति सहित) तीन (03) दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

31/01/20

(दीपक कुमार साहु)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः- 978 (ग)   पटना, दिनांक- 31/1/2020

प्रतिलिपिः-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गया/समस्तीपुर/बेतिया/सीतामढ़ी/नवादा/अररिया/मोतिहारी/सहरसा/सासाराम एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ यथोक्त।

31/01/20

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन-03/स्था0-ए0-07/2017........262......./पटना, दिनांक........9.7.19........

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2401 दिनांक 18.07.2007, संकल्प ज्ञापांक-1718 दिनांक 06.05.2010, संकल्प ज्ञापांक-8025 दिनांक 21.05.2013 में निहित प्रावधान एवं संकल्प संख्या-12534 दिनांक 17.09.2018 की कंडिका-4(i) में वर्णित परिशिष्ट 'क' का कंडिका-1(क) एवं कंडिका-24(i) एवं 34 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-295-सह-पठित ज्ञापांक-7858(भ) दिनांक 24.07.2018 द्वारा संविदा पर पुनर्नियोजित एवं कार्यरत निम्नलिखित 04 (चार) कनीय अभियंता (असैनिक), जिनकी संविदा नियोजन अवधि समाप्त हो चुकी है, को सरकार द्वारा निरूपित शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन अगले एक वर्ष अर्थात दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 तक के लिए पुनर्नियोजन (संविदा अवधि का विस्तार) करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0सं0	कनीय अभियंताओं का नाम एवं गृह जिला	पूर्व पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1.	श्री उपेन्द्र कुमार दीक्षित औरंगाबाद	भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	भवन प्रमण्डल, गया
2.	श्री ओम प्रकाश यादव धनबाद	भवन प्रमण्डल, लखीसराय	भवन प्रमण्डल, समस्तीपुर
3.	श्री अमरेन्द्र प्रसाद गया	भवन प्रमण्डल, मोतीहारी	भवन प्रमण्डल, बेतिया
4.	श्री अशोक कुमार नालंदा	भवन प्रमण्डल, अररिया	भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी
5.	श्री राजीव रंजन सिंह नालंदा	भवन प्रमण्डल, सहरसा	भवन प्रमण्डल,नवादा
6.	श्री नारद राम पूर्वी चम्पारण	भवन प्रमण्डल, शिवहर	भवन प्रमण्डल, अररिया
7.	श्री राजू कुमार रोहतास	भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी	भवन प्रमण्डल, मोतिहारी
8.	श्री रामाशीष भारती लखीसराय	भवन प्रमण्डल, बेतिया	भवन प्रमण्डल, सहरसा
9.	श्रीमती प्रभावती कुमारी पटना	भवन प्रमण्डल, गया	भवन प्रमण्डल, सासाराम

1. यह पुनर्नियोजन पूरी तरह से अस्थायी है एवं इस शर्त्त के साथ है कि भविष्य में इनका कार्यकलाप अच्छा हो एवं उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं है।
2. यह पुनर्नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध है एवं अधिकतम एक वर्षों के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए (जो भी पहले हो) है।
3. यह संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. संविदा के आधार पर नियोजन किये गये कनीय अभियंता को सरकारी सेवक नहीं माना जायेगा और न ही सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी प्रकार की सुविधा के हकदार होंगे। साथ ही संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
5. अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण यह सेवानिवृति की सामान्य आयु पुरी होने पर संविदा अवधि के पूर्व अथवा नियमित नियुक्ति होने के पूर्व भी संविदा नियोजन समाप्त की जा सकती है।
6. संविदा पुनर्नियोजन की अन्य शर्तें नियोजन के समय निर्गत नियुक्ति पत्र, एकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र (जहाँ लागू हो) में अंकित यथावत् रहेगी।

कृ0पृ0उ0........

7. सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या-2401 दिनांक 18.07.2007 में संशोधन के उपरान्त प्रतिपादित सभी शर्त्त/नियम इस आदेश में प्रभावी माने जाएँगे।
8. आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से उपर्युक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) से एकरारनामा सम्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के बाद कोई दावा मान्य नही होगा। साथ ही संबंधित पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा सम्पादित कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
9. नियोजित कनीय अभियंताओं के पारिश्रमिक का भुगतान पूर्व निर्धारित दर से उनके पदस्थापित कार्यालय द्वारा विस्तारित अवधि दिनांक 01.07.2019 से नियमानुसार देय होगी।
10. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संबंधित कनीय अभियंतओं से एकरारनामा कराने के पश्चात् ही उनका मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

9/7/19
(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

पटना, दिनांक- 9.7.19

ज्ञापांक 6277 (भ)
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/19
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

पटना, दिनांक- 9.7.19

ज्ञापांक 6277 (भ)
प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित कनीय अभियंता (संविदा)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/7/19
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

E:\Sunil\Old and New Work Folder\Non-Gazet-4 ORA-T-2018\Non-GAZZT-EST.doc